उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा नये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु दिशा–निर्देश

- नये प्रशिक्षण केन्द्र अथवा सीट वृद्वि हेतु **दिनॉक 01 अप्रैल, 2017 से 15 अप्रैल, 2017** के मध्य कार्यालय की वेबसाइट **www.upsmfac.org** पर **online** आवेदन किया जा सकता है।

- सम्पूर्ण रूप से **online** भरे हुए आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की Hard copyकार्यालय में दिनॉक **20 अप्रैल, 2017** तक दो प्रतियों में जमा कराना अनिवार्य होगा।

- अपूर्ण रूप से भरे व आवश्यक दस्तावेजो के अभाव में आपके आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा और संस्था द्वारा जमा किये गये शुल्क में से 50 प्रतिशत शुल्क काट कर अवशेष शुल्क वापस कर दिया जायेगा।

- जी0एन0एम0, ए0एन0एम0 एवं पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0–नर्सिंग प्रशिक्षण का आवेदन/रजिस्ट्रेशन/निरीक्षण शुल्क वर्तमान में रूपये **4,00,000/– (चार लाख रूपया मात्र)** प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित किया गया है, इससे अधिकतम तीन निरीक्षण तक कराये जायेंगे व अधिकतम दो वर्ष के लिए मान्य होगा।

- बी0एस0सी0–नर्सिंग हेतु आवेदन/रजिस्ट्रेशन/निरीक्षण शुल्क वर्तमान में रूपये **2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रूपया मात्र)** निर्धारित है, इससे अधिकतम तीन निरीक्षण कराये जायेंगे व अधिकतम दो वर्ष के लिए मान्य होगा। उक्त शुल्क का 10 प्रतिशत अर्थात रू. 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र) राजकीय कोषागार हेड संख्या–**0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 800 अन्य प्रप्तिया** में जमा की जायेगी। इसकी रसीद आवेदन–पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

- एम0एस0सी0–नर्सिंग हेतु आवेदन/रजिस्ट्रेशन/निरीक्षण शुल्क वर्तमान में रूपये **3,00,000/– (तीन लाख रूपया मात्र)** निर्धारित है, इससे अधिकतम तीन निरीक्षण कराये जायेंगे व अधिकतम दो वर्ष के लिए मान्य होगा।

- जिन जिलों में जी0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है अथवा बहुत कम है केवल उन जिलों में ही जी0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा सकते है, जो कि निम्नवत है–

  अम्बेडकर नगर, अमेठी, औरैया, बहराइच, बलरामपुर, बाँदा, बस्ती, भदोहीं, बदाँयू, बुलन्दशहर, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, कन्नौज, कानपुर देहात, एटा, कुशीनगर, लखीमपुर–खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मिर्जापुर, सम्भल, सन्तकबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती एवं उन्नाव।

- जिन जिलों में हेल्थ वर्कर (महिला)/ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है अथवा बहुत कम है केवल उन जिलों में ही हेल्थ वर्कर (महिला)/ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा सकते है, जो कि निम्नवत है–

  अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, भदोहीं, बदाँयू, बुलन्दशहर, चित्रकूट, एटा, फैजाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मुज्जफरनगर, सम्भल, सन्तकबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सोनभद्र एवं उन्नाव।

- जी0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा प्रख्यापित मानकों के अनुरूप संस्था का स्वयं का **100 बेड** का चिकित्सालय व प्रशिक्षण भवन **20000 वर्गफुट** एवं हास्टल भवन **17500 वर्गफुट** का होना अनिवार्य है, (लीज अथवा किराये का भवन मान्य नहीं होगा)।

- हेल्थ वर्कर (महिला)/ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु वही संस्थायें अर्ह होंगी जो इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त **जी.एन.एम. प्रशिक्षण संचालित कर रही हों** और उनके पास इस

प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण भवन **10060 वर्गफुट** एवं हास्टल भवन **15625 वर्गफुट** का अतिरिक्त रूप से उपलब्ध हो, (लीज अथवा किराये का भवन मान्य नहीं होगा)।

- नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र के लिए विस्तृत विवरण हेतु नर्सिंग प्रशिक्षण की नियामक संस्था**इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली** की वेबसाइट **www.indiannursingcouncil.org** का अवलोकन करें।
- **नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु चिकित्सालय का शाप एण्ड स्टेब्लिसमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन होना आवश्यक है।**
- पैरामेडिकल डिप्लोमा/डिग्री प्रशिक्षण का आवेदन/रजिस्ट्रेशन/निरीक्षण शुल्क वर्तमान में **2,50,000/– रूपये (दो लाख पचास हजार रूपया मात्र**) प्रति प्रशिक्षण निर्धारित है, इससे अधिकतम तीन निरीक्षण कराये जायेंगे व अधिकतम दो वर्ष के लिए मान्य होगा।
- पैरामेडिकल परास्नातक प्रशिक्षण का आवेदन/रजिस्ट्रेशन/निरीक्षण शुल्क वर्तमान में **3,00,000/– रूपये (तीन लाख रूपया मात्र)** प्रति प्रशिक्षण निर्धारित है, इससे अधिकतम तीन निरीक्षण कराये जायेंगे व अधिकतम दो वर्ष के लिए मान्य होगा।
- पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु आवेदक के पास **50 बेड** का चिकित्सालय व **10,000 वर्गफुट** भूमि में **6,000 वर्गफुट** प्रशिक्षण भवन निर्मित हो। प्रत्येक अतिरिक्त डिप्लोमा प्रशिक्षण हेतु **1,000 वर्गफुट** के अतिरिक्त अध्ययन कक्ष उपलब्ध हों। यदि चिकित्सालय व प्रशिक्षण केन्द्र एक ही परिसर में हो तो संस्था के पास **20,000 वर्गफुट** भूमि व **16,000 वर्गफुट** का भवन (10,000 वर्गफुट में 50 बेड का चिकित्सालय व 6,000 वर्गफुट में प्रशिक्षण केन्द्र)। चिकित्सालय व प्रशिक्षण भवन आवेदक संस्था/ट्रस्ट/सोसायटी के स्वामित्व का होना अनिवार्य है।
- पैरामेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम हेतु संस्था के पास स्वयं की भूमि हो, जो कि न्यूनतम नगरीय क्षेत्र में **एक एकड़** अथवा **4000 वर्ग मीटर** अथवा **43040 वर्ग फुट**हो एवं ग्रामीण क्षेत्र में **दो एकड़** अथवा **8000 वर्ग मीटर** अथवा **86080 वर्ग फुट** हो, एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाने हेतु इतनी ही भूमि की आवश्यकता होगी किन्तु प्रशिक्षण भवन कुल निर्मित क्षेत्र **1000 वर्ग मीटर** (प्रत्येक अतिरिक्त प्रशिक्षण हेतु 200 वर्ग मीटर का अतिरिक्त भवन हो). संस्थान के पास छात्रों को क्लीनिकल प्रशिक्षण देने हेतु स्वयं के स्वामित्व एवं प्रबन्धन का न्यूनतम **100 बेड** का बहुविशेषज्ञता का चिकित्सालय होना आवश्यक है।
- भूमि के मालिकाना हक का प्रमाण–पत्र/प्रपत्र (संस्था का ही हो) जो राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी प्राधिकरण (तहसीलदार) से कम न हो से प्रमाणित प्रति/खतौनी की मूल प्रति अथवा उपनिबन्धक द्वारा सत्यापित विलेख की प्रति, यदि संस्था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो और भूमि कृषि योग्य हो तो निबन्धन धारा 143 के अर्न्तगत भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
- यदि ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी/संस्थान के नाम 12.50 एकड़ से अधिक भूमि है, उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 सपठित उ0प्र0 जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के सुसंगत प्राविधानों के अर्न्तगत राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन का अनुमति पत्र।
- प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी आवेदक सिर्फ कम्पनी एक्ट 25 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो, अर्ह होंगे।
- **बी0एस0सी0–नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0–नर्सिंग एवं एम0एस0सी0–नर्सिंग तथा स्नातक/परास्नातक पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 25,000/– राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी इसकी रसीद आवेदन–पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।**

राजकीय कोषागार में हेड संख्या
0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 800 अन्य प्रप्तियां में – ₹ 25,000/–

आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले संलग्नक –

फोटोग्राफ :

1. पूरे भवन के सामने का, पूरे भवन के पीछे का, एक कक्षा की आन्तरिक, प्रधानाचार्य कक्ष की एवं लाइब्रेरी की फोटो।
2. अस्पताल के विभिन्न कोणों व आन्तरिक साज–सज्जा को दिखाते हुये फोटो।
3. सम्बन्धित प्रशिक्षण की विशेषज्ञता की उपलब्ध सुविधाओं को दिखलाते हुये आन्तरिक फोटो।

दस्तावेज

4. संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र।
5. संस्था के बाइलाज/मेमोरेण्डम ऑफ एसोशिएसन
6. प्रश्नगत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का केन्द्र खोलने हेतु सोसा0/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा पारित रिजोल्यूशन/प्रस्ताव की प्रति।
7. संस्था की बैलेन्सशीट (पिछले 2 वर्षो की)
8. भूमि के मालिकाना हक का प्रमाण–पत्र/प्रपत्र (संस्था का ही हो) जो राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी प्राधिकरण (तहसीलदार) से कम न हो से प्रमाणित प्रति/खतौनी की मूल प्रति अथवा उपनिबन्धक द्वारा सत्यापित विलेख की प्रति, यदि संस्था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो और भूमि कृषि योग्य हो तो निबन्धन धारा 143 के अर्न्तगत भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें एवं प्रशिक्षण केन्द्र का प्रमाणित मानचित्र।
9. अस्पताल के मालिकाना हक का प्रमाण–पत्र, जिसमें बेड संख्या अंकित हो (संस्था का ही हो।)
10. स्वयं के अस्पताल का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें बेड संख्या अंकित हो, संलग्न करना अत्यावश्यक है।
11 मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाण पत्र
12. वर्तमान कार्यरत कर्मचारी – अस्पताल/प्रशिक्षण केन्द्र की सूची।
13. लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों/जर्नल्स की सूची भी संलग्न करें।
14. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु चिकित्सालय का उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के अन्तर्गत (Shop and establishment act) पंजीयन प्रमाण–पत्र।
15. प्रास्पेक्ट्स में दिये शपथ–पत्र को 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर संलग्न करना आवश्यक है।

नोटः 1. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में किसी भी दशा में आवेदन पत्र कार्यालय में जमा नहीं किया जायेगा।

2. भू–अभिलेख की सत्यापित प्रति के साथ ही आवेदन–पत्र स्वीकार किये जायेगें।

3. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु चिकित्सालय का उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के अन्तर्गत (Shop and establishment act)पंजीयन प्रमाण–पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में आवेदन पत्र जमा नहीं किया जायेगा।

4. यदि ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी/संस्थान के नाम 12.50 एकड़ से अधिक भूमि है, उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 सपठित उ0प्र0 जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के सुसंगत प्राविधानों के अर्न्तगत राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन का अनुमति पत्र।